न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 248 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 चन्दगीराम पुत्र गिरधारी उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरिसिंह पुत्र गिरधारी।
2 लीलाधर पुत्र गिरधारी।
3 दरिया सिंह पुत्र श्योनाथ।
4 सतबीर पुत्र श्योनाथ।
5 फुलाराम पुत्र श्योनाथ।
6 रघुवीर सिंह पुत्र श्योनाथ।
7 सुभाष चन्द्र पुत्र श्योनाथ।
8 हरदयाल पुत्र हनुमान।
9 मनीराम पुत्र हनुमान।
10 हरीश चन्द्र पुत्र हनुमान समस्त जाति जाट निवासीगण किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी चन्दगीराम
बनाम हरिसिंह वगैरह दावा बाबत खाता
विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती मु.नं. 193/2014
निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवीन सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–27-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 193/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा बाबत खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 229,248,223,224,230,231,232,233,234,235,247 ग्राम किठाना प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.03.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की है। दिनांक 17.06.2016 को विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी उसी दिन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये उसी दिन विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुचना दिये बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत किठाना मे रख दी उस दिन अपीलांट व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही थे उसी दिन विभाजन प्रस्ताव लेकर अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन अन्तिम डिक्री उसी दिन पारित कर दी है। जो विधि विरूद्व है विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की गैर मौजुदगी में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का किठाना द्वारा दिनांक 17.06.2016 को तैयार किये गये है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर.बी.जे 2017 पेज 299 में पारित न्यायिक दृष्टांत के विपरित नियम 18 से 20 की अवहेलना कर प्रस्ताव तैयार किये गये है। जो विधि विरूद्व है अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपति प्रस्तुत करने, सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद अपीलांट लेकर आया था विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है विचारण न्यायालय में नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित की है। जो विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। अपीलांट को इसके लिये सूचित किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2016 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को आपत्ति/सुनवाई का कोई भी अवसर दिये बिना उसी दिन अन्तिम डिक्री जारी कर दी है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही पाया जाता है। विद्वान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 299 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "1. **It is not mandatory that complete report was to be prepared by tehsildar himself but he may take assistance of other officials as well.**

2. Second question himself go to the site. Answer is in positive it means that tehsildar himself should go to the right.

3. Tehsildar will issue a notice to all concerned parties that they have to be present for pre parathion of partition proposal at the sight.

विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना किये बिना विचाराधीन अन्तिम डिकी पारित की है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वंय से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उभयपक्ष को आपत्ति/सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27-3-19

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर